Notice

Inviting Short Term Tender

Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0

Victoria Park , Meerut

विक्टोरिया पार्क, मेरठ

निविदा विशिष्टीकरण संख्या: प0वि0वि0नि0लि0 / मे0 / मु0 / 07 / इनोवा क्रिस्टा वाहन / 2023–24 के अन्तर्गत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मुख्यालय मेरठ पर तैनात निदेशकगणों के प्रयोगार्थ, 04 नग इनोवा क्रिस्टा वाहन (सफेद रंग, वातानुकूलित, डीजल चालित, वाहन चालक सहित, वाणिज्यक पंजीकृत, मॉडल 03 वर्ष से पुराना न हो), किराये पर उपलब्ध कराने हेतु।

Date of Opening 01-11-2023

Tender Fee : Price Rs. 3540.00
(Including GST)
EMD Fee : Price Rs. 40000.00

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

Office of the Managing Director
PVVNL, Victoria Park, Meerut.

Bid Procedures:

Sale of Bid Document -

A complete set of Tender documents can be downloaded online by the bidders on payment of a non-refundable Rs.3540.00 **(3000.00 tender fees + 540.00 GST 18% GST)** (Rs Three Thousand Five hundred Forty only) through RTGS in favour of "SE (HQ), PVVNL" payable at Meerut.

The Tender document can also be downloaded from discom Web site i.e. www.pvvnl.org or E-tender website i.e. **www.etender.up.nic.in.**Both Parts shall be filled compulsorily online by visiting at www.etender.up.nic.in.

Earnest Money Deposit (EMD) –

All bidders are required to deposited **EARNEST MONEY of Rs 40,000.00/- (Rs. Forty Thousand Only)** in the form of RTGS in favour of "SE (HQ), PVVNL" payable at Meerut along with the bid.

The bids received without required Earnest Money & Tender fees shall be rejected without further reference. No interest shall be payable by PVVNL on the Earnest Money deposited by Bidder.

Detail of Bank :

Name of Account Holder	-	**SE (HQ), PVVNL, Meerut.**
Bank Account No.	-	**3493639431**
Name of Bank & Branch	-	**Central Bank of India, Jail Chungi, Meerut.**
I.F.S.C. Code	-	**CBIN0282337**

The undersigned reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereto.

Superintending Engineer (HQ)
अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
PVVNL, Meerut.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

NOTE:
i) This Agreement is to be filled in and enclosed with tender Bid Part-I.
ii) To be made on non judicial stamp paper of Rs. 10/- + Revenue Stamp of Rs. 1/-.

AGREEMENT

Tender Invited by **Superintending Engineer (HQ)**
PVVNL, Victoria Park, Meerut.

Tender Specification No **PVVNL/MT/HQ/07/Innova Crysta Vehicle/2023-24**

Tender Invited for (Name of work) ______________________________

Name of Tenderer ______________________________

In consideration of the **PASCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED,** having treated the tenderer to be an eligible person whose tender may be considered, the tenderer hereby agree to the conditions that the proposal in response to the above invitation shall not be withdrawn within 180 days from the date of opening of tender bid Part –I & II, also to the conditions that if thereafter the tenderer does withdraw his proposal within the said period, the earnest money deposited by him may be forfeited to the U.P. Power Corporation Ltd. in the discretion of the later.

Signed this ______________ day of ________________________ 2023.

Witness :

(i)
(ii)

Signed by Tenderer
With Official Seal

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

(TENDER FORM)

Tender. No. PVVNL/MT/HQ/07/Innova Crysta Vehicle/2023-24
(To be filled sand submitted by the Tenderer in Tender Bid Part-I)

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO TENDERERS:

Your tender shall not be considered if you fall to submit this form duly filled UP Replies should be complete without ambiguity and should be clearly written against each item. Terms such as "Refer covering Letter" etc. shall not be acceptance you may however, attach extra sheets if the space left is not sufficient.

S.No.	Particulars.	
1.	Tender No. against which you have tendered	
2.	Receipt No. and date by which cost of tender was deposited by you	
3.	Name and address of tendered.	
4	Location of offices.	
5	Amount of earnest money deposited with full details, be submitted here. (Enclose)	
6	Quantity offered (if there are two or more items, state quantities separately with units) with tolerance.	Full.
7	Do you agree to all conditions of the tender specification.	
8	Name and detailed address of your authorized representative with email id and mobile No. against this tender .	
9	Full name, Mobile No. and Email ID of tenderer, proprietor / partners Directors be given.	
10	Give GST Registration No. enclosed Copy	
11	**Firm Bank Details:-**	
	Bank Name	
	IFSC Code	
	Account Number	
	Branch Name	
	Branch Address	
12.	Please enclose statement of past/ current supplies/ execution of works of similar nature alongwith order copies.	
13.	Whether all the scheduled and documents required have been submitted or not ?	

Date:

Place:

Signature of the Tenders
Name:

Status:

Seal of the Tendering Company

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मुख्यालय मेरठ पर तैनात निदेशकगणों के प्रयोगार्थ, 04 नग इनोवा क्रिस्टा वाहन (सफेद रंग, वातानुकूलित, डीजल चालित, वाहन चालक सहित, वाणिज्यक पंजीकृत, मॉडल 03 वर्ष से पुराना न हो), किराये पर उपलब्ध कराने हेतु।

अति–अल्पकालीन निविदा विशिष्टीकरण सं0–पविविनिलि/मे/मु/07/ इनोवा क्रिस्टा /2023–24

1. अर्हताएँ (प्री क्वालीफाईंग शर्ते)

1. जीएसटी विभाग द्वारा जारी फर्म के पंजीकरण का नवीनतम एवं वैध प्रमाण पत्र।
2. फर्म द्वारा जमा किया गया निविदा शुल्क व ई०एम०डी० धनराशि की स्लिप/पावती की छायाप्रति।
3. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ, स्टाम्प पेपर व हस्ताक्षर तथा मोहर सहित।
4. सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में संतोषजनक वाहन आपूर्ति किये जाने सम्बन्धित अनुभव प्रमाण पत्र।
5. वाहन आपूर्ति किये जाने सम्बन्धित कार्यादेश/अनुबन्ध की प्रति।
6. फर्म को किसी सरकारी/अर्द्ध–सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में नही डाला गया है तथा न ही कार्य निशिद्ध किया गया है, सम्बन्धित नवीनतम नोटरी शपथ पत्र की प्रति (रू0 10.00/ के स्टाम्प पर इस निविदा जारी किये जाने के उपरान्त की तिथि का) (अनुबन्ध के समय शपथ पत्र की मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी)।

2. अन्य नियम एवं शर्ते :–

1. फर्मो द्वारा उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र/प्रपत्र, निविदा के प्रथम–भाग में संलग्न किये जाने अनिवार्य है अन्यथा निविदा का द्वितीय भाग नही खोला जायेगा।
2. फर्म/ठेकेदार के बीजको पर आयकर कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।
3. वाहन मुख्यालय को उपलब्ध कराते समय फर्म को वाहन के पूर्ण कागजातों की मूलप्रति सम्बन्धित अवर अभियन्ता को उपलब्ध करानी होगी। गाड़ी को मोटर व्हीकल एक्ट की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा।
4. दुर्घटना की दशा में सम्बन्धित वाहन चालक को क्षतिपूर्ति, फर्म/ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी।
5. निविदादाता कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत फर्म द्वारा अपने कर्मी (वाहन चालक) का बीमा कराया जायेगा।
6. फर्म के वाहन चालक की किसी भी प्रकार की दुर्घटना के समय कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत, विभाग द्वारा लागू प्राविधानों के अंतर्गत फर्म द्वारा पीडित पक्षकार के परिजनों को भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
7. केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार वाहन पर फास्टटैग लगा होना अनिवार्य है। अतः फर्म द्वारा, उपलब्ध कराये गये वाहन पर फास्टटैग लगा होना सुनिश्चित किया जायेगा। जिसका रिचार्ज फर्म द्वारा कराया जायेगा तथा मासिक बिल के साथ फर्म द्वारा माह में लगे टोल टैक्स की रसीदे सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करनी होगी, जिनका भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।
8. केवल सफेद रंग का वाहन ही स्वीकार किया जायेगा।
9. यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता विभाग के संज्ञान में आती है तो तत्काल अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध शून्य होने अथवा अनियमितता के फलस्वरूप समस्त धनराशि का दायित्व फर्म का होगा तथा विभाग एवं तद्नुरूप लागू प्राविधानों के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार की धनराशि शास्ति के रूप में उस पर अवधारित की जाती है तो उसके जमा के लिए भी फर्म उत्तरदायी होगी।
10. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना किसी कारण बतायें किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
11. वाहनो की सीटो पर सफेद रंग के तौलिये एवं खिडकी पर पर्दे लगे होने चाहिए तथा नियमित अन्तराल पर सीटो पर लगे तौलियों एवं खिडकियों के पर्दो की धुलाई सफाई करना तथा वाहन की अन्दर व बाहर से नियमित रूप से धुलाई व सफाई, फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से करायी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में फर्म पर प्रति दिन प्रति वाहन रू0 100.00 की दर से पैनल्टी लगाई जायेगी, जोकि बीजक की धनराशि की अधितम 10 प्रतिशत होगी तथा साथ ही उस दिन के किराये का भुगतान भी नही किया जायेगा।
12. निरस्त की गयी निविदा की ई.म.डी धनराशी अथवा टेन्डर फीस धनराशी किसी अन्य निविदा में समायोजित नहीं की जायेगी।
13. किसी भी दुर्घटना की दशा में समस्त क्षतिपूर्ति, फर्म/ठकेदार द्वारा वहन की जायेगी।
14. उपरोक्त टेन्डर रनिंग कान्ट्रेक्ट 01 वर्ष की अवधि का होगा। जिसको आपसी सहमति/Performance के आधार पर आवश्यकतानुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
15. फर्म को जी.एस.टी. यथा अनुमन्य देय होगा तथा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई कर देय नही होगा।
16. फर्म द्वारा जमा किये गये प्रपत्रो में कोई प्रपत्र मिथ्या (False) पाया जाता है, तो फर्म द्वारा जमा की गई ई०एम०डी० धनराशि को जब्त कर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही (काली सूची में डालना आदि) की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
17. विभाग द्वारा विलम्ब से भुगतान प्राप्ति अथवा समय से भुगतान अवमुक्त न होने की दशा में फर्म को कम से कम 3 माह तक अपने स्तर से वाहन का रख–रखाव एवं अपने कर्मियों को भुगतान करना होगा।
18. गाडी की सर्विस व मरम्मत आदि कार्य नियमित अन्तराल पर कराये जायेगे, जिसके लिय सक्षम अधिकारी की सुविधा अनुसार समय दिया जायेगा।
19. वाहन की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी।

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

20. कार्य में सम्मिलित कर्मचारी भविष्य में सेवायोजन सम्बन्धी किसी भी प्रकार का वाद प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ / उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विरूद्ध दायर नही करेंगे, न ही वह मान्य होगा।
21. वाहन, वाहन चालक सहित किराये पर लिया जायेगा एवं वाहन तथा चालक की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी। ड्राइवर की नाइट शिफ्ट का कोई भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहन चालक को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय प्राप्त हो।
22. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनो की प्रति किमी० डीजल की खपत 10 कि0मी0 / ली० से कम नहीं होनी चाहिए।
23. उपरोक्त टेन्डर रनिंग कान्ट्रेक्ट होगा तथा विभाग द्वारा फर्म को एल०ओ०आई० निर्गत करने के 07 दिन के अन्दर वाहन (चालक सहित) उपलब्ध कराना होगा।
24. वाहन 03 वर्ष से पुराना न हो।
25. गाडी के वाहन चालक का लाइसेन्स वाणिज्यिक श्रेणी में नवीनीकृत / पंजीकृत होना चाहये।
26. विभाग द्वारा दैनिक उपभोग हेतु डीजल के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री, फर्म / वाहन चालक को उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
27. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये ड्राईवर का व्यवहार कुशल / अनुभवी / स्वस्थ होना आवश्यक है।
28. यदि किसी ड्राईवर के व्यवहार / कार्यशैली सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है, तो फर्म को सूचित करने के (फ़ोन / व्हाट्सप्प / मेल द्वारा) 24 घण्टे के अन्दर व्यवहार कुशल / अनुभवी / स्वस्थ्य ड्राईवर उपलब्ध कराना होगा अन्यथा की स्थिति में क्र0सं0 11 मे वर्णित दर से पैनल्टी लगाई जायेगी, जिसकी धनराशि फर्म के बीजको से समायोजित की जायेगी।
29. फर्म द्वारा, वाहन के साथ उपलब्ध कराये गये वाहन चालको का नियमित रूप से नेत्र परीक्षण कराया जायेगा तथा उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित अवर अभियन्ता(मु0), पविविनिलि, मेरठ को उपलब्ध करानी होगी।
30. फर्म के चालक को गाडी की लोग बुक का रख–रखाव करना होगा तथा प्रतिदिन गाडी चलने की कि0मी0 रीडिंग को सत्यापित कराकर विभाग के अधिकारी से हस्ताक्षरित करना होगा।
31. फर्म को लोगबुक सत्यापन के आधार पर बीजक प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
32. गाडी खराब होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरी गाडी 03 घंण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रु0 100.00 प्रति घण्टे की दर से तथा पूरे दिन उपलब्ध न कराने की दशा में प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्टी (जिस अवधि में गाडी उपलब्ध नहीं रही है) फर्म के बीजक से काटी जायेगी, जोकि बीजक की धनराशि की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी तथा उस दिन के किराये का भुगतान भी नही किया जायेगा।
33. गाड़ीं के रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म के मालिक की होगी। यदि गाड़ी दुर्घटना या अन्य किसी कारण से क्षतिग्रस्त होती है, तो उसक सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पूर्णरुपेण गाड़ी मालिक का होगा।
34. विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र मेरठ होगा।
35. अनुबन्ध के समय फर्म को रू0 100.00 का नोन जूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वयं अपने खर्चे पर उपलब्ध कराना होगा, जिस पर अनुबन्ध किया जायेगा जिसके साथ निविदा की कुल धनराशि का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी की एफ0डी0आर0 / बैंक गारण्टी (मेरठ स्थित बैंक शाखा द्वारा निर्गत) 18 माह की अवधि के रुप में, जो अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ (SE HQ PVVNL, MEERUT) के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करनी होगी।

अधीक्षण अभियन्ता (मु0)
कृते प्रबन्ध निदेशक

अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ